(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) बंगाल वित्त (बिक्री कर) अधिनियम 1941 के उस रूप के अधीन जैसा कि वह संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में लागू है, फर्मों के नाम से रजिस्ट्रेशन सार्टिफिकेट जारी किया जाता है, न कि उसके मालिक, भागीदार या संचालक के। इस बारे में नाम तथा व्यापार की प्रकृति आदि के सम्बन्ध में पूरे विवरण के अभाव में कोई निश्चित सूचना देना सम्भव नहीं है ?

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

राजस्थान में विमान सेवायें

5119. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान म विमान सेवाओं का विस्तार करने के लिये इस वर्ष कुल कितनी धन राशि नियत की गई है और उदयपुर में वाइकाउंट विमानों के उतरने की व्यवस्था करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) उदयपुर म रात्रि के समय विमानों के उतरने की व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी और सायंकालीन विमान सेवा कब आरम्भ हो जायगी; और

(ग) क्या उनके लिय राजस्थान के प्रमुख नगरों जैसे जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, तथा कोटा में अन्तर्राज्य विमान सेवा आरम्भ करना संभव होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के पास किसी राज्य विशेष के लिये यात्रियों के यातायात के विकास के लिये कोई पृथक् नियतन नहीं होता। एफ-27 विमानों के परिचालन के लिये उदयपुर के धावन पथ को हाल ही में बढ़ा कर 5400 फुट कर दिया गया है। मगर आई० ए० सी० वाले वाइकाउंट विमान द्वारा यहां के लिये एक सेवा इस समय भी परिचालित कर रहे हैं।

(ख) इस हवाई अड्डे पर धावन पथ पर (बिजली की) रोशनी लगाने की व्यवस्था के जनवरी, 1968 में पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) जयपुर और उदयपुर पहले ही विमान सेवा द्वारा संबद्ध हैं। कोटा को विमान सेवा से जोड़ने के बारे में विचार किया जा रहा है। यातायात संभावनाओं के अत्यल्प होने के कारण जोधपुर को विमान सेवा से जोड़ना व्यावसायिक दृष्टि से उचित नहीं समझा गया। बीकानेर और अजमेर का यातायात सर्वेक्षण अभी किया जाना है।

राजस्थान में पर्यटक स्थान

5120. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ऐतिहासिक महत्व के प्रमुख नगरों में परिवहन तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष कुल कितनी धनराशि नियत की है;

(ख) राजस्थान में पर्यटक होटलों के निर्माण के लिये बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और वे होटल कहा-कहां स्थापित किय जायेंगे ; और

(ग) उदयपुर तथा चित्तौड़ गढ़ में पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष कितनी राशि मंजूर की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : (डा० कर्ण सिंह) : (क) चूंकि पर्यटन केन्द्रों पर परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है इसलिए इस प्रयोजन के लिए कोई निधि नियत नहीं की गई

है। उदयपुर के निकट ससबाहू मन्दिर को जाने वाली सड़क का सुधार और सरिसिका, माउण्ट-आबू और जयपुर में आवास व्यवस्था की वृद्धि जैसी अन्य सुविधाओं के विकास के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,52,997 रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

(ख) राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटक होटल बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) उदयपुर के निकट ससबाहू मन्दिर को जाने वाली सड़क के सुधार के लिए अन्तिम किस्त के तौर पर पर्यटन विभाग के चालू वर्ष के बजट में 8,327/- रुपये की व्यवस्था मौजूद है।

अध्यापकों का आर्थिक उत्थान

5121. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अध्यापकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिये केन्द्रीय सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) क्या केन्द्रीय शिक्षा निधि के नमूने के किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है जिसे राज्यों में भी अध्यापकों के कल्याण के लिये क्रियान्वित किया जा सके और जिसके लिये केन्द्रीय अनुदान मिल सके ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक दशाओं को सुधारने के लिए शिक्षा आयोग ने बहुत से उपायों की सिफारिश की है और उन पर विचार किया जा रहा है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं तथापि, अभावग्रस्त अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना की गई है और राज्य सरकारों को प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए धन का 80 प्रतिशत भाग के उपयोग के अधिकार दे दिए गए हैं।

स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारियों का सेवा-निवृत्त होने की योजना

5122. **श्री शिव कुमार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐसे सरकारी कर्मचारी जो 25 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके हों, स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त हो सकते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यद्यपि इस सम्बन्ध में घोषणा की जा चुकी है परन्तु इस बारे में अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा किस तारीख तक आदेश जारी कर दिये जाने की सम्भावना है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). वर्तमान नियमों के अधीन सरकार को सरकारी सेवा में 1-10-1938 से पहले प्रविष्ट होने वाले कर्मचारियों की कुछ विशेष श्रेणियों को 25 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने पर लोकहित की दृष्टि से सेवा-निवृत्त कराने का अबाध अधिकार है, और ऐसे कर्मचारियों को भी इसी प्रकार से निवृत्ति ग्रहण करने का ऐसा ही अधिकार है। अन्य सरकारी कर्मचारियों के बारे में सरकार को उनके 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने अथवा 30 वर्ष की अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने पर उन्हें सेवा-निवृत्त कराने का अबाध अधिकार प्राप्त है, यदि ऐसा करना लोक-हित की दृष्टि से आवश्यक हो और सरकारी कर्मचारियों को भी बदले में इस प्रकार सेवा-निवृत्ति ग्रहण करने का अधिकार है।

प्रशासन को सशक्त बनाने के उपाय के रूप में यह निश्चय किया गया है कि यदि लोक-हित की दृष्टि से आवश्यक हो तो सरकार को सरकारी कर्मचारियों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने या 25 वर्ष की पेंशन के लिये अर्हतादायी सेवा पूरी कर लेने में से जो भी